यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 06.05.2020

-पत्र संख्या :—38 / 2020

CMS NO:- 2020/00080

ठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

फोलाद उर्फ प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति बागरियां निवासी ग्राम हणवन्तपुरा तहसील नैनवॉं जिला बून्दी ।

— वादी

बनाम

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थितिः—

वादी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका, श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 13.07.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवां पटवार हल्का नैनवॉं द्वितीय तहसील नैंनवां के खसरा सं. 1026 रकबा 01—00 बीघा, खसरा संख्या 1197 रकबा 04—00 बीघा, खसरा संख्या 1034 रकबा 01—00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 06—00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को आज से करीब 30—40 साल पहले वादी के पिता कल्याण ने नोतोड से फाडकर आबाद की थी तथा उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाकर उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काबिज होकर कृषि काश्त करता चला आ रहा था। वादी भी उक्त भूमि पर वादी के पिता के साथ मिलकर उसका कृषि काश्त में सहयोग करता रहा है। यह कि वादी के पिता बीमार हो जाने से अपने कब्जे व आधिपत्य की भूमि को अपने तीनों पुत्रों में विभाजन कर मौके पर कब्जा संभला दिया था विभाजन में उक्त भूमि वादी के हिस्से में आने से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि काश्त करता चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के कुछ हिस्से पर वादी ने बाडा बना रखा है एवं एक टयूब वेल लगाा रखी है तथा रहने के लिए मकान भी बना रखा है तथा उक्त मकान पर लाईट भी लगा रखी है तथा अपने परिवार सहित उक्त मकान में ही निवास करता चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वर्षो से वादी के हिपता का कब्जा चला आने से तथा सके बाद उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होने से तथा लगातार उक्त भूमि पर वादी को कब्जा मुखलफनामा भी प्राप्त होने से वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि को अपने नाम नियमन करवा कर अपने आपको उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये तथा इस आशय का इन्द्राज समस्त राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में करवाये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श—1, सत्य प्रतिलिपी नकल P—14 प्रदर्श 2 लगायत 13, नकल निर्णय [illegible] राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा, नकल निर्णय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान, [illegible] पथ—पत्र, बयान आदि पेश किये।

वाद पत्र माननीय न्यायालय राजस्[illegible] दिये गए आदेश की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब / [illegible] जवाब सरकार पैरोकार अनुसार वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भूमि पर मकान व बा[illegible] बनाकर वाद पत्र में [illegible] किया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible] नियमों का स्पष्ट उल्लघंन है, वादी राजकीय भूमि पर अतिकमी है जिसे खातेदार घोषित होने [illegible] कानूनी अधिकार नहीं है तथा राजकीय भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी को कोई [illegible]र नहीं है। अतः वाद पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब सरकार पैरोकार का अवलोकन [illegible]या। उभयपक्षकारान को सुनवाई हेतु समुचित अवसर देते हुए मामले की सुनवाई की गई। वाद पत्र में [illegible]स सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। उक्त भूमि पर वादी अतिकमी की हैसियत से काबिज है जिससे उसके किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वादी को उक्त विवादित भूमि पर खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner